(iii) NEED FOR TAKING STEPS TO HELP MANUFACTURERS OF ACETIC ACID

DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambalpur): Sir, the alcohol-based chemical industry is facing a crisis of over-supply but the worst hit in the line is the manufacturers of acetic acid who find it difficult to market their products.

The root cause of the problem is that the installed capacity in the country is far in excess of the domestic demand and the problem stands aggravated because of the government permission to effect the import from abroad.

The consumption of the acid is well below the supply right now and this has induced manufacturers to offer substantial price concession to boost their individual sales. In the past few months, the prices are slashed down by Rs. 2,000 a tonne to Rs. 3,000 a tonne and yet this has not pushed up the total sales of the acid industry as a whole by any significant margin.

Unless some sort of help is extended by the Government, as many as 14 manufacturers of acetic acid in the country, the individual capacity of most of whom ranging between 1,500 tonnes and 900 tonnes will continue to suffer. The overseas sales would relieve the domestic glut to some extent and encourage the manufacturers to maintain the high level of their production.

In view of this, I suggest that the Government of India should initiate efforts to promote exports of this particular chemical. All sorts of help should also be extended to market their product in the domestic market.

(iv) GRANT OF PENSION TO FAMILY MEMBERS OF FREEDOM FIGHTERS WHO SUFFERED IMPRISONMENT IN 1930.

श्री केशवराव पारधी (भंडारा) : मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को या उनके स्वर्गवास के बाद उनके पत्नी या बच्चों को पेंशन दी जाती है लेकिन देश में ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हैं जिन्हें 1930 में जेल की सजा 6 माह या इसके ऊपर की सजा दी गई थी। बाद में गांधी-इर्विन पैक्ट, 1930 के तहत उन स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों का 6 मास से पहले ही छोड़ दिया गया है। इन स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को या उनके पत्नी या बच्चों को कोई पेंशन नहीं मिल रही है। आज उन स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों में से बहुत सारे या तो स्वर्गवास हो चुका है लेकिन उनके पीछे पत्नी या बच्चों की हालत बहुत खराब है। खाने पीने या रहने का कोई ठिकाना नहीं है और दूसरों पर आश्रित हो कर जीवन यापन बड़ी कठिनाई से कर रहे हैं। उदाहरणतः मेरे क्षेत्र से भंडारा (महाराष्ट्र) की रहने वाली एक महिला हैं। गांधी इर्विन पैक्ट के तहत उन के पति को साढ़े चार माह में ही जेल से छोड़ दिया गया जब कि उन्हें 6 माह की सजा हुई थी। उनका स्वर्गवास हुये दो वर्ष हो चुके हैं। उनको पेंशन मिलती थी लेकिन उनकी पत्नी को पेंशन नहीं मिल रही है। मैंने इसके लिये प्रयत्न भी किये, बताया जाता है कि सजा 6 माह से कम भोगी है इस बजह से पेंशन नहीं मिल सकती। फिर उनको पेशन क्यों दी गई जब कि आज उनकी पत्नी का जीवन, यापन, पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हैं। जिन्हें गांधी इर्विन पैक्ट के अन्तर्गत 6 माह की सजा होने के बाद भी पहले छोड़ दिया गया। ऐसे सभी स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन दिया जाय जिससे उनके पत्नी या बच्चों को जीवन-यापन करने में जो तफलीफ हो रही है वह तफलीफ दूर हो सके।

(v) ACUTE SHORTAGE OF ELECTRICITY IN MATHURA DISTRICT OF UTTAR PRADESH.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : मान्यवर, देश में बिजली की कमी है। सबसे अधिक